लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड, नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल) के माह 08/2013 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री विभाष चंद्र मुखर्जी, श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री एन॰एस॰ भण्डारी लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20/09/2016 से 03/10/2016 तक श्री जे॰एम॰एस॰ रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण पर संपादित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड, नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्वश्री भीम सेन सिंह, श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28/08/2013 से 03/09/2013 तक मे सम्पन्न हुयी थी, जिसमें खण्ड के माह 09/2011 से 07/2013 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2013 से 08/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं नें खण्ड का कार्यभार सम्भाले रखा।
   1- श्री कमाल सिंह (विगत लेखापरीक्षा से 02/07/2015 तक)।
   2- श्री दीक्षान्त (03/07/2015 से अब तक)
3. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहेः-
   1- श्री राजेन्द्र सिंह (विगत लेखापरीक्षा से 15/07/2015 तक)।
   2- श्री विपिन कुमार (16/07/2015 से वर्तमान तक)
4. अधीक्षण अभियन्ता ने खण्ड का गत संप्रेक्षा से अब तक की अवधि के दौरान का निरीक्षण माह-03/2015।
5- खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी माह मार्च 2016 तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी माह सितम्बर 2015 में की गई।
6- फार्म 51: माह 08/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-
   भाग प्रथम रू0 - `5236.89
   भाग द्वितीय रू0 - `214283.59
7- खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह जून 2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम रू0 696620.88
(ख) सामग्री क्रय रू0 शून्य
(ग) नकद परिशोधन रू0 शून्य
(घ) स्टाक रू0 2124652.00
(ङ) निक्षेप रू0 8901258.15

8- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	122/1999-2000	1	-
2.	109/2000-01	1	1
3.	43/2001-02	1	-
4.	25/2002-03	2	-
5.	20/2020-11	-	1
6.	50/2011-12	1	-
7.	30/2013-14	-	1

9. अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

10. सतत अनियमिततायेः- शून्य।

11. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

धनराशि लाख में

वित्तीय वर्ष	मुख्य लेखाशीर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय
2013-14	4700,2245,2702,2711,8443	499.876	499.876
2014-15	4700,4711,2245,2702,2711,84	828.08	828.08
2015-16	4700,4711,2702,2711,8443	1478.618	1478.618
2016-17 (अगस्त 2016 तक)	4711,2702,2711	407.59	64.28
योग		**3214.166**	**2870.854**

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 ` 136.56 लाख का कार्य टुकड़ों में बाँट कर निष्पादित किया जाना एवं (मात्र)2.80 कि॰मी॰ के अपूर्ण कार्य पर ` 165.51 लाख व्यय किया जाना।

जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर जनजाति विकास खण्ड के अंतर्गत अलगाड़ नहर के निर्माण (लंबाई 6.50 कि॰मी॰) तथा शाखा गूल एवं कमाण्ड गूल की लंबाई 4.10 कि॰मी॰) की योजना हेतु नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृति माह 01/2012 एवं तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता द्वारा उतनी ही धनराशि एवं लंबाई हेतु माह 12/2012 में प्रदान की गयी थी।

सिंचाई खंड, नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल) की लेखापरीक्षा माह 10/2016 मे पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु खण्ड द्वारा माह 09/2012 से 03/2016 के मध्य सहायक अभियंता स्तर से कुल 52 अनुबंध गठित किए गए थे, जिनकी कुल लागत ` 136.56 लाख थी। जिनके सापेक्ष विभाग द्वारा कुल ` 140.51 लाख का भुगतान किया गया था। नियमानुसार उपरोक्त कार्य **e-tendering** के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर अधीक्षण अभियंता स्तर से अनुबंध गठित कर, किया जाना चाहिए था। आगे यह भी पाया गया कि कार्य हेतु कुल स्वीकृति ` 212.14 लाख थी जिसमे 6 कि॰मी॰ मुख्य नहर +4.10 कि॰मी कमाण्ड गूल की लंबाई मे कार्य होना था किन्तु खण्ड द्वारा मुख्य नहर लंबाई 6 कि॰मी. के सापेक्ष मात्र 2.80 कि॰मी॰ मे ही कार्य किया गया था, गूल का निर्माण पूरी लंबाई मे ही किया गया था। खण्ड द्वारा अपूर्ण कार्य पर कुल ` 165.51 लाख का भुगतान कर कार्य समाप्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया कि क्षेत्र की दुर्गम स्थितियों एवं स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करने हेतु सहायक अभियंता स्तर से छोटे छोटे अनुबंध किए गए। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एक करोड़ से अधिक का कार्य होने के कारण अधीक्षण अभियंता स्तर से **e-tendering** के माध्यम से अनुबंध गठित किया जाना चाहिए था। खण्ड में **e-tendering** के माध्यम से अनुबंध गठित किए जाने की परंपरा थी। साथ ही अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार छोटे-छोटे भागों में कार्य तभी विभाजित किया जा सकता है यदि कार्य का त्वरित सम्पादन किया जाना हो किन्तु उपरोक्त कार्य वर्ष 2012 से 03/2016 तक चलता रहा।

अत: अधूरे कार्य (मात्र 2॰80 कि॰मी॰) पर ` 165.51 लाख का व्यय एवं ` 140.51 लाख के कार्य टुकड़ों में करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर-1 : 52 नहरों के बन्द पड़े रहने के कारण 734 हैक्टेअर कृषि भूमि का असिंचित रहना।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर, कीर्तिनगर, देवप्रयाग एवं नरेंद्र नगर में वर्ष 1960-61 से वर्ष 2013-14 तक की अवधि में निर्मित 52 नहरे बन्द (सितम्बर 2016) पड़ी थी। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	नहर का नाम	निर्माण वर्ष	सी0सी0ए0 (है.)	सिंचन क्षमता (हैक्टेअर में)		
					खरीफ	रबी	योग
1	जौनपुर	परोगी	2009-10	12	11	8	19
2	जौनपुर	गडैथ	1985-86	50	31	31	62

3	जौनपुर	गैंड	1986-87	10	7	4	11
4	जौनपुर	साटागाड	2010-11	8	7	6	13
5	जौनपुर	टकारना	1992-93	12	10	6	16
6	जौनपुर	दावला	1987-88	**15**	**10**	**5**	15
7	जौनपुर	घराडा	2000-01	15	9	4	13
8	जौनपुर	ऐन्दी	1991-92	40	26	12	38
9	जौनपुर	खनारू	2007-08	11	8	7	15
10	जौनपुर	पंजनियाणा	2010-11	7	6	5	11
11	जौनपुर	नेग्याणा तल्ली	1992-93	8	6	4	10
12	जौनपुर	रणगांव	1989-90	22	16	8	24
13	जौनपुर	छेरा पांखा	2009-10	10	9	6	15
14	जौनपुर	जेठुन्डा	1997-98	4	3	2	5
15	जौनपुर	गांव खेद द्वितीय	2009-10	10	9	6	15
16	जौनपुर	गांव खेत	1989-90	11	8	4	12
17	जौनपुर	भाल	1985-86	**12**	**8**	**3**	11
18	जौनपुर	मतेला	1988-89	7	5	3	8
19	जौनपुर	तोगी अलमस	1989-90	5	3	2	5
20	जौनपुर	डयूली	2010-11	3	3	2	5
21	जौनपुर	नकोट	1995-96	16	10	5	15
22	जौनपुर	भवान	1985-86	80	52	52	104
23	जौनपुर	हलनू	2010-11	4	2	2	4
24	जौनपुर	चोपडा तोक	1996-97	4	3	1	4
25	जौनपुर	खाली	2010-11	4	4	3	7
26	जौनपुर	सरतली	1987-88	18	12	8	20
27	जौनपुर	मौना	1980-81	7	6	3	9
28	जौनपुर	बसांण गांव	2009-10	9	7	6	13
29	जौनपुर	बिसटोसी	2009-10	6	5	4	9
30	जौनपुर	बन्दर कोट	2009-10	10	9	7	16
31	जौनपुर	बुराडी	1989-90	11	8	4	12
32	जौनपुर	नौथा -द्वितीय	2009-10	10	9	7	16
33	जौनपुर	घेना ताल	2012-13	13	9	10.5	19.5
34	जौनपुर	मैंड	1992-93	5	3	1	4
35	जौनपुर	केम्पटी फाल	1981-82	8	6	4	10
36	जौनपुर	किमोई	1984-85	20	12	12	24
37	जौनपुर	पल्यागांव	2010-11	3	3	1	4
38	जौनपुर	लंगडासू	2010-11	15	12	7	19
39	जौनपुर	घेरागलाबनोटी	2010-11	7	6	5	11
40	जौनपुर	डुन्डा	2010-11	12	11	8	19
41	जौनपुर	आवली	1995-96	14	9	4	13
42	जौनपुर	खट्ट	1989-90	38	29	15	44
43	जौनपुर	थान	1960-61	20	10	10	20
44	जौनपुर	सौडीलगाक्यारी	1996-97	5	4	1	5
45	जौनपुर	सरोठी	1996-97	4	4	3	7
46	कीर्तिनगर	मढी	1983-84	10	8	7	15
47	देवप्रयाग	सिमलासू	1976-77	25	15	8	23
48	नरेन्द्र नगर	कखूर	2009-10	13	8	7	15
49	नरेन्द्र नगर	भदनी	1989-90	**12**	**7**	**5**	12
50	नरेन्द्र नगर	पजैगांव	2013-14	**9**	**6**	**6**	12
51	नरेन्द्र नगर	आर्ष नहर	2013-14	10	8.5	8.5	17
52	नरेन्द्र	मणगांव	1985-86	40	32	16	48

	नगर						
	कुल योग			**734**	**524.500**	**369.000**	**893.500**

उपरोक्त नहरों से कुल 734 हैक्टेअर कृषि क्षेत्र को सिंचित किया जाना था जिसका सिंचन क्षमता 883 हैक्टेअर था। इन नहरों के बन्द होने के कारण कुल 734 हैक्टेअर कृषि भूमि असिंचित पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2013-14 मे अतिवृष्टि से दैवी आपदा के कारण उपरोक्त नहर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी थी, क्षतिग्रस्त नहरों के चलाने हेतु विभिन्न मदों मे धन उपलब्ध न होने के कारण नहरें अभी पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पायी है। खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि वर्णित नहरों के बन्द पड़ने के कारण कुल 734 हैक्टेअर कृषि भूमि (जिसका सिंचन क्षमता 883 हैक्टेअर है) असिंचित रहने से कृषकों को इन नहरों से सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड, नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल)** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II